

प्रश्न सं. [क. 1269]

सद्वत से उत्तर देने की दिनांक 13/02/2024
 आतांकित प्र. सं. 1269
 माननीय विधायक - श्री कुलोत्तम सिंह
 भाकरी

मध्य प्रदेश शासन
 ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय

क्रमांक एफ-3-06/2020/तेरह/01
 प्रति

भोपाल, दिनांक 11 SEP 2023

1. प्रबंध संचालक,
 एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
 भोपाल।

2. प्रबंध संचालक,
 न.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
 जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

विषय: 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिल आस्थगित कर 1 सितम्बर, 2023 से इन उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान किये जाने बाबत।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

(i) राज्य में 1 किलोवाट तक के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की राशि को आस्थगित किया जाए। बिलों की जांच उपरांत ही आस्थगित बिलों के भुगतान पर निर्णय लिया जाए एवं निर्णय होने तक बकाया राशि पर सरचार्ज नहीं लगाया जाए।

(ii) 1 सितम्बर, 2023 से 1 किलोवाट तक के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान किये जाए।

2/ उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कर, कृपया कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करायें।

(संजयी दुबे)
 प्रमुख सचिव
 म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग
 भोपाल, दिनांक

पु. क्रमांक एफ-3-06/2020/तेरह/01

प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म.प्र.शासन मंत्रालय, भोपाल
 विशेष कर्तव्य अधिकारी, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल

प्रमुख सचिव
 म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

मुख्य महाप्रबंधक (कार्य)
 न.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
 जबलपुर

अनुभाग अधिकारी
 ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
 भोपाल

पु. क्रमांक एफ-3-06/2020/तेरह/01

प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म.प्र.शासन मंत्रालय, भोपाल
 विशेष कर्तव्य अधिकारी, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल

प्रमुख सचिव
 म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

मुख्य महाप्रबंधक (कार्य)
 न.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
 जबलपुर

अनुभाग अधिकारी
 ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
 भोपाल